

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3-31/2016/18-5
प्रति,

भोपाल दिनांक 27/4/2017

1. कलेक्टर,
जिला बैतूल
2. सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
बैतूल ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत बैतूल
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नगर पालिका परिषद बैतूल ।

विषय :- बैतूल विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत।

राज्य शासन ने बैतूल विकास योजना 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।
संलग्न :- यथोपरि

Seepant.
(सुप्रिया पिंडके)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल दिनांक 27/4/2017

पृ0क0-एफ 3-31/2016/18-5
प्रतिलिपि :-

आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को
संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

Seepant.
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

संचालनालय	
नगर तथा ग्राम निवेश	
आवक क्र.	525
दिनांक	27/4/17
साखा	विकास योजना
आयुक्त	आयुक्त

31/5/17

31/5

Ab LTO

Dmcs

31/5/2017

*नगरीय विकास विभाग
वेबसाईट पर प्रकाशन
की जाये*

31/5/17

*132/TC
02/05/17*

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय
विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 22-4-2017

क्रमांक-एफ-3-31/2016/18-5 ::मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,(संशोधित) 1973 (क्रमांक -1 सन् 2012), की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बैतूल विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम गोठान I	163/4,	2.023 हेक्टेयर	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग शर्तें-1. प्रश्नाधीन भूमि में स्थित पेड़ जिनको सड़क निर्माण से क्षति पहुँच सकती है को काटने की अनुमति संबधित विभाग से ली जावे एवं इसके एवज में नियमानुसार खुले स्थानों पर अतिरिक्त पेड़ लगाये जावे । 2.बैतूल विकास योजना 2021 अनुसार प्रश्नाधीन भूमि में प्रस्तावित मार्ग क्षेत्राधिकार की भूमि को मार्ग उपयोग हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा ।
		योग-	2.023 हेक्टेयर		

प्रस्तावित उपांतरण के व्यौरे सूचना प्रवगशन की तिथि से 15 दिन की समयवधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बैतूल तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे। प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(सी के साधव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

6/1/2017 नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Housing Department
MANTRALAYA

Notice

Bhopal, Dated 22/4/2017

No.F-3-31/2016/18-5 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, (Sanshodhit) 1973 (No.1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for public information, in the Betul Development Plan, 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No.	Village	Khasara No.	Area (In Hec.)	Land use specified in the development plan	Modified land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	Gram-Gothana	163/4	2.023 hec.	Agriculture & Road	Residential & Road Conditions :- 1. Permission shall be obtained from competent authorities for cutting trees affected for road widening and additional trees shall be planted in open area in lieu of cutting trees. 2. Proposed right of way of road shall be kept protected for road purpose as per Betul Development Plan 2021.
		Total	2.023 Hec.		

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Assistant Director, Town and Country Planning, Betul as well as on the web site. www.mptownplan.nic.in for a period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Housing Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and Suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the
Governor Of Madhya Pradesh,

(C.K.Sadhav)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Urban Development And
Housing Department